



भारतीय रिज़र्व बैंक
पणजी क्षेत्रीय कार्यालय
सुरक्षा एवं शिष्टाचार कक्ष

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता, 2020 (OSHC, 2020) का अनुपालन करने वाले पंजीकृत ठेकेदारों/एजेंसियों से दो-बोली प्रणाली के तहत ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं, ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए **निहत्थे सुरक्षा गार्ड (पुरुष और महिला)** उपलब्ध कराए जा सकें, जिन्हें अग्निशमन उपकरणों के संचालन का ज्ञान हो और जो आग लगने की आपात स्थिति में कार्रवाई करने में सक्षम हों। ये सुरक्षा गार्ड, जिन्हें आगे सुरक्षा गार्ड के रूप में संदर्भित किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुबंध में निर्धारित दायित्वों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।

ई-निविदा की सूची

1)	विभाग का नाम:	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), पणजी
2)	ई-टेंडर संख्या:	RBI/PANAJI REGIONAL OFFICE/HRMD/4/25-26/ET/1037 [E-TENDER FOR SECURITY GUARDS]
3)	ई-टेंडर का नाम:	RBI, पणजी के कार्यालय परिसर तथा सेंट इनेज, पणजी में अधिकारियों के क्वार्टर्स (OQ) में पुरुष एवं महिला सुरक्षा गार्ड प्रदान करने हेतु टेंडर
4)	टेंडर का तरीका:	ऑनलाइन ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली तथा भाग II - वित्तीय बोली, MSTC वेबसाइट के माध्यम से: https://www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi
5)	एन आई टी डाउनलोड के लिए उपलब्ध तिथि:	20 फरवरी 2026, 12:00 बजे
6)	प्री-बिड मीटिंग (ऑफलाइन):	27 फरवरी 2026, 11:30 बजे, RBI पणजी
7)	कार्य की अनुमानित वार्षिक लागत:	₹64,00,000/- (लागू GST सहित)
8)	ईमानदारी राशि (ईएमडी):	₹1,28,000/- (केवल एक लाख अठाईस हजार रुपये) NEFT के माध्यम से जमा करना होगा। खाता, IFSC आदि का विवरण निम्नानुसार है: RBI पणजी खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBIS0PJPA01 (RBIS-जीरो-PJPA-जीरो-वन)
9)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि:	16 मार्च 2026, 12:00 बजे

10)	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली के लिए बोली शुरू होने की तिथि:	20 फरवरी 2026, 16:00 बजे
11)	ऑनलाइन ई-टेंडर के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली जमा करने की अंतिम तिथि:	16 मार्च 2026, 12:00 बजे
12)	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय:	16 मार्च 2026, 16:00 बजे
13)	भाग II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि एवं समय:	वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय सभी योग्य बोलकर्ताओं को ईमेल/पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
14)	MSTC लेनदेन शुल्क:	MSTC गेटवे/NEFT/RTGS के माध्यम से MSTC लिमिटेड के पक्ष में (या M/s MSTC Ltd. द्वारा सुझाए गए अनुसार) लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा।

नोट: आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों/बोलीदाताओं को अपनी पात्रता के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर, बैंक को उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी परिस्थिति में ईएमडी के बिना निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

निविदा में भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र की सूचना केवल बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर ही दी जाएगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पणजी क्षेत्रीय कार्यालय



भारतीय रिज़र्व बैंक
पणजी

सुरक्षा गार्ड के लिए ई-निविदा



भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
पणजी क्षेत्रीय कार्यालय

विषयसूची

आइटम	पृष्ठ संख्या	
निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	1	
ई-निविदा का कार्यक्रम	2	
अस्वीकरण	5	
खंड - 1	ई-प्रोक्योरमेंट के लिए आवेदकों/बोलीदाताओं के लिए निर्देश	6
भाग 1	तकनीकी बोली: खंड (i) निविदा का प्रारूप	11
खंड - II	निहत्थे सुरक्षा गार्डों के लिए ई-निविदा और पात्रता मानदंड	13
खंड - III	तकनीकी-वाणिज्यिक और वित्तीय बोलियाँ	18
खंड - IV	कार्यक्षेत्र	22
प्रारूप: वचनबद्धता		31
	प्रारूप का अनुलग्नक - ए बुनियादी जानकारी	33
	प्रारूप का परिशिष्ट - बी पिछले अनुभव का विवरण	34
	प्रारूप का परिशिष्ट - सी बैंकों का विवरण	35
	प्रारूप का परिशिष्ट - डी बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप	36
	प्रारूप का अनुलग्नक - ई प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र	38
	प्रारूप का अनुलग्नक - F सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	39
भाग 2	वित्तीय बोली	43-45
	फर्मो/एजेंसी का विवरण	43
	शुल्क	44



भारतीय रिज़र्व बैंक
पणजी क्षेत्रीय कार्यालय
सुरक्षा एवं शिष्टाचार कक्ष

ई-निविदा की सूची

ईनिविदा की सूची निम्नवत प्रस्तुत है:

1)	विभाग का नाम:	भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), पणजी
2)	ई-टेंडर संख्या:	RBI/PANAJI REGIONAL OFFICE/HRMD/4/25-26/ET/1037 [E-TENDER FOR SECURITY GUARDS]
3)	ई-टेंडर का नाम:	RBI, पणजी के कार्यालय परिसर तथा सेंट इनेज, पणजी में अधिकारियों के क्वार्टर्स (OQ) में पुरुष एवं महिला सुरक्षा गार्ड प्रदान करने हेतु टेंडर
4)	टेंडर का तरीका:	ऑनलाइन ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम भाग I – तकनीकी-वाणिज्यिक बोली तथा भाग II – वित्तीय बोली, MSTC वेबसाइट के माध्यम से: https://www.mstcecommerce.com/
5)	एन आई टी डाउनलोड के लिए उपलब्ध तिथि:	20 फरवरी 2026, 12:00 बजे
6)	प्री-बिड मीटिंग (ऑफलाइन):	27 फरवरी 2026, 11:30 बजे, RBI पणजी
7)	कार्य की अनुमानित वार्षिक लागत:	₹ 64,00,000/- (लागू GST सहित)
8)	ईमानदारी राशि (ईएमडी):	₹1,28,000/- (केवल एक लाख अठाईस हजार रुपये) NEFT के माध्यम से जमा करना होगा। खाता, IFSC आदि का विवरण निम्नानुसार है: RBI पणजी खाता संख्या: 186003001 IFSC: RBIS0PJPA01 (RBIS-जीरो-PJPA-जीरो-वन)
9)	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि:	16 मार्च 2026, 12:00 बजे

10)	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली के लिए बोली शुरू होने की तिथि:	20 फरवरी 2026, 16:00 बजे
11)	ऑनलाइन ई-टेंडर के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली जमा करने की अंतिम तिथि:	16 मार्च 2026, 12:00 बजे
12)	भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) खोलने की तिथि एवं समय:	16 मार्च 2026, 16:00 बजे
13)	भाग II (वित्तीय बोली) खोलने की तिथि एवं समय:	वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय सभी योग्य बोलकर्ताओं को ईमेल/पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
14)	MSTC लेनदेन शुल्क:	MSTC गेटवे/NEFT/RTGS के माध्यम से MSTC लिमिटेड के पक्ष में (या M/s MSTC Ltd. द्वारा सुझाए गए अनुसार) लागू लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा।

नोट: आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों/बोलीदाताओं को अपनी पात्रता के प्रमाण स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा। ऐसा करने में विफल रहने पर, बैंक को उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। किसी भी परिस्थिति में ईएमडी के बिना निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। बैंक सबसे कम निविदा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

निविदा में भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र की सूचना केवल बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर ही दी जाएगी, जैसा कि ऊपर बताया गया है, और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पणजी क्षेत्रीय कार्यालय

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक (बैंक), संपदा विभाग, पणजी ने इच्छुक पक्षों को सेवा के बारे में पृष्ठभूमि जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि बैंक ने इसमें निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, फिर भी बैंक या इसके किसी भी प्राधिकरण, एजेंसी, उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों में से कोई भी इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी या इससे संबंधित किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देता है या कोई भी प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित रूप से नहीं करता है

2. यह जानकारी संपूर्ण नहीं है। इच्छुक पक्षों को स्वयं जांच-पड़ताल करनी होगी और निविदा प्रस्तुत करने वालों को लिखित रूप में इसकी पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और निविदा प्रस्तुत करते समय वे केवल बैंक द्वारा दी गई जानकारी पर ही निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

3. बैंक सेवा को आगे न बढ़ाने, सेवा के स्वरूप में परिवर्तन करने, इस दस्तावेज़ में उल्लिखित समय सारिणी में बदलाव करने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साथ ही, बैंक इच्छुक पक्ष से इस मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इच्छुक व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

खंड - 1

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए आवेदकों/बोलीदाताओं के लिए निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है

ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे इस निविदा के नियम और शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

ई-टेंडर की प्रक्रिया:

- 1) **पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में विक्रेता का MSTC ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है, जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से की जाएगी। विक्रेता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाणपत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत कंप्यूटर से बोली लगाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी MSTC की नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष नोट: तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली ऑनलाइन जमा करनी होगी।

www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi

- i) बोलीदाताओं को www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई लोगो चुनें → विक्रेता के रूप में पंजीकरण करें → विवरण भरें और अपना उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड बनाएं → सबमिट करें
- ii) बोलीदाताओं को पंजीकरण फॉर्म भरते समय प्रदान किए गए उनके ईमेल पते पर सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया एक ईमेल प्राप्त होगा जो उनके पंजीकरण की पुष्टि करेगा।
- iii) किसी भी स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

1. श्री तन्मय सरकार, उप प्रबंधक, tsarkar@mstcindia.co.in मोबाइल-08349894664
2. सुश्री रूपाली पांडे, उप प्रबंधक, rpandey@mstcindia.co.in, मोबाइल नंबर 9458704037/ फोन- 022 22822789
3. सुश्री अर्चना, सहायक प्रबंधक- archana@mstcindia.co.in मोबाइल- 09990673698

4. श्री तेजस वी, कार्यकारी tejasv@mstcindia.co.in फ़ोन-022 22822789

गूगल हेंगआउट आईडी (टेक्स्ट चैट के लिए) - mstceproc@gmail.com

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई):

कैप्टन सी बालागोपाल (सुरक्षा अधिकारी): 8886116522

ईमेल आईडी: cbalagopal@rbi.org.in

मंगेश नाइकनवरे (सहायक प्रबंधक) : 9011919114

ईमेल आईडी: mnaiknavare@rbi.org.in

2) सिस्टम आवश्यकता:

- i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम
- ii) IE - 7 और उससे ऊपर के इंटरनेट ब्राउज़र
- iii) हस्ताक्षर का प्रकार: डिजिटल हस्ताक्षर
- iv) सिस्टम में नवीनतम अपडेटेड JRE 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना चाहिए ।
- iv) हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) के "संरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स लागू की जा सकती हैं:
टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => संरक्षित मोड अक्षम करें। यदि सक्षम है, तो "संरक्षित मोड सक्षम करें" वाले चेकबॉक्स से टिक हटा दें।

3) अन्य सेटिंग्स:

- i) टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउज़िंग इतिहास/ब्राउज़िंग इतिहास हटाएं" के अंतर्गत सेटिंग्स पर क्लिक करें => अस्थायी इंटरनेट फाइलें => "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूँ" को सक्रिय करें।
- ii) सभी सक्रिय X नियंत्रणों को सक्षम करने और 'पॉप अप ब्लॉकर का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए टूल्स → इंटरनेट विकल्प → कस्टम स्तर (कृपया पेज से IE सेटिंग्स चलाएं)

www.mstcecommerce.com पर एक बार)

4) तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य

बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा करनी

होगी। निविदाएं निविदा में दी गई निर्दिष्ट तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी। निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए

- 5) **लेनदेन शुल्क के संबंध में विशेष सूचना:** बोलीदाताओं को विक्रेता लॉगिन में "मेरा मेनू" के अंतर्गत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करना होगा। बोलीदाताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से संबंधित निविदा का चयन करना होगा। बोलीदाताओं के पास NEFT या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। NEFT का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर चालान जनरेट करेगा। बोलीदाताओं को चालान पर छपी जानकारी के अनुसार लेनदेन शुल्क की राशि का भुगतान करना होगा, जिसमें कोई बदलाव नहीं करना है। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान कर सकता है। भुगतान MSTC के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया एक ईमेल प्राप्त होगा।

लेनदेन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

- 6) कोई भी बोलीदाता लेनदेन शुल्क का भुगतान किए बिना ऑनलाइन ई-टेंडर तक पहुंच प्राप्त नहीं कर सकेगा ।
- 7) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयोजन के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि उन्हें बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
- 8) निविदाओं/संशोधनों से संबंधित जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल के माध्यम से ही भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएसटीसी में विक्रेता के पंजीकरण के समय उनके द्वारा प्रदान की गई कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध है कि वे अपने डीएससी की वैधता सुनिश्चित करें।
- 9) एनआईटी में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-टेंडर तक पहुंच नहीं हो सकती है ।
- 10) **ई-टेंडर में बोली लगाना :**
- क) ई-टेंडर में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए बोलीदाताओं को आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता(ओं) की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दी जाएगी।
- ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियां प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया शामिल है।
- ग) जिन बोलीदाताओं ने लेनदेन शुल्क जमा कर दिया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू/सरकारी विभाग → आरबीआई के अंतर्गत लॉगिन → मेरा मेनू → नीलामी स्थल प्रबंधक → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन करके इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी

बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।

- घ) बोलीदाता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी होगी। यह प्रक्रिया बोली प्रक्रिया शुरू होने के तुरंत बाद पूरी करनी होगी। इसके बाद उन्हें सामान्य नियम और शर्तों/व्यावसायिक विनिर्देश भरने होंगे और उन्हें सहेजना होगा। फिर तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चल रहा है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली को सहेज/जमा नहीं कर पाएगा।
- e) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली का लिंक सक्रिय हो जाता है और उसे भरना होता है। फिर विक्रेता को अपनी वाणिज्यिक बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। तकनीकी और वाणिज्यिक दोनों बोलियां सहेज लेने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए 'अंतिम सबमिशन' बटन पर क्लिक कर सकता है।
- f) बोलीदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए 'अटैच डॉक' बटन का उपयोग करें। एक से अधिक दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- (g) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय अपने स्वयं के आईडी और पासवर्ड के साथ-साथ डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना चाहिए।
- h) संपूर्ण ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे से और साथ ही सभी अन्य लोगों से पूरी तरह गुमनाम रहेंगे।
- i) ई-निविदा फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से तथा ऊपर उल्लिखित अवधि तक खुला रहेगा।
- j) ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां बोलीदाता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली माना जाएगा और उसकी स्वीकृति खरीददार द्वारा ऐसा किया गया कोई भी प्रस्ताव, खरीददार और बोलीदाता के बीच आपूर्ति के निष्पादन के लिए एक बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगा।
- k) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत की जाएं अन्यथा उन्हें सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- l) बैंक बिना कोई कारण बताए निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से रद्द करने, अस्वीकार करने, स्वीकार करने, वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- m) निविदा दस्तावेज की शर्तों और नियमों से किसी भी प्रकार का विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने का अर्थ है कि उसने निविदा के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

- 11) इस निविदा के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी आदेश निविदा में उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा ।
- 12) तकनीकी एवं वाणिज्यिक नियमों एवं शर्तों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है।
- 13) निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण को बिना कोई कारण बताए इस ई-निविदा को रद्द करने या बोली प्राप्त करने की नियत तिथि बढ़ाने का अधिकार है ।
- 14) बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोलीदाता / विक्रेता मार्गदर्शिका पढ़ें और पृष्ठ पर दिए गए वीडियो को देखें ।

बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के लिए www.mstcecommerce.com/eprochome पर जाएं।

भाग 1: तकनीकी बोली
खंड (i) निविदा का प्रारूप

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पणजी

प्रिय महोदय/महोदया,

सैंट इनेज़, पणजी स्थित अधिकारी क्वार्टर में आरबीआई, पणजी के कार्यालय परिसर में सुरक्षा गार्ड (पुरुष और महिला) उपलब्ध कराना

उपरोक्त कार्य से संबंधित आवश्यकताओं, शर्तों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने और कार्य स्थल का दौरा और निरीक्षण करने तथा निविदा को प्रभावित करने वाली आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्वारा आरबीआई, पणजी स्थित कार्यालय परिसर और सैंट इनेज़, पणजी स्थित अधिकारी क्वार्टर (ओक्यू) की सुरक्षा के लिए निजी सुरक्षा गार्ड (पुरुष और महिला) की सेवाएं वित्तीय बोली में उल्लिखित दरों पर तथा निविदा की शर्तों और संलग्न अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदान करने का प्रस्ताव देते हैं।

2. हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा खुलने की तिथि से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और इस वैधता अवधि को बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है। हम निविदा की वैधता अवधि के दौरान अग्रिम राशि के रूप में बैंक गारंटी को संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक-F) के अनुसार वैध रखने के लिए भी सहमत हैं। हम स्वीकृति पत्र के साथ प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए भी सहमत हैं।

3. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम एतद्वारा निविदा की सभी शर्तों और नियमों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत होते हैं, और ऐसा न करने की स्थिति में, निविदा में निहित शर्तों के साथ अनुबंध की लिखित स्वीकृति में उल्लिखित धनराशि आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या नियुक्तियों या नामित व्यक्तियों (पद पर) को जब्त कर ली जाएगी और उसका भुगतान किया जाएगा।

4. मुझे/हमें यह समझ में आया है कि वह ठेकेदार जिसने पहले बैंक के साथ निजी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने या बैंक के किसी भी कार्यालय (पणजी सहित) में किसी अन्य सेवा के लिए ठेकेदार के रूप में काम किया हो और जिसे बैंक द्वारा सेवा में कमी के कारण सेवा समाप्ति नोटिस जारी किया गया हो और/या सेवा समाप्त कर दी गई हो, वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।

5. मैं/हम समझते हैं कि बैंक सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी बोली को स्वीकार करने का अधिकार है, चाहे वह सबसे कम हो या नहीं। बैंक को बिना कोई कारण बताए सभी बोलियों को अस्वीकार करने का भी अधिकार है। बैंक किसी भी ऐसी बोली

को भी अस्वीकार कर सकता है जो प्रथम दृष्टया इस निविदा के संदर्भ में लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती हो।

वर्ष 2026 के इसी _____दिन । _____

मेसर्स की ओर से और उनके लिए _____

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम _____

पदनाम _____

स्थान _____ दिनांक _____

पता

(उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ता के पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए)।

गवाह:

(1) हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता _____

दिनांक _____

(2) हस्ताक्षर _____

नाम _____

पता _____

दिनांक _____

खंड - II

सेंट इनेज़, पणजी स्थित अधिकारी क्वार्टर (ओक्यू) में आरबीआई, पणजी के कार्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए निहत्थे सुरक्षा गार्ड (पुरुष और महिला) उपलब्ध कराने हेतु ई-टेंडर

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों संहिता, 2020 (OSHC, 2020) का अनुपालन करने वाले पंजीकृत ठेकेदारों/एजेंसियों से दो-बोली प्रणाली के तहत ई-निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं , ताकि भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए निहत्थे सुरक्षा गार्ड (पुरुष और महिला) उपलब्ध कराए जा सकें, जिन्हें अग्निशमन उपकरणों के संचालन का ज्ञान हो और जो आग लगने की आपात स्थिति में कार्रवाई करने में सक्षम हों। ये सुरक्षा गार्ड, जिन्हें आगे सुरक्षा गार्ड के रूप में संदर्भित किया गया है, भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए अनुबंध में निर्धारित दायित्वों के अनुसार नियुक्त किए जाएंगे।

1. वर्तमान में तेरह (13) सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता है (जिनमें 2 अवकाश आरक्षित गार्ड और 1 महिला सुरक्षा गार्ड शामिल हैं, जो केवल कार्यदिवसों में कार्य समय के दौरान आरबीआई कार्यालय में तैनात रहेंगे)। हालांकि, इनकी आवश्यकता समय-समय पर बदल सकती है। बैंक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार सुरक्षा कर्मियों की संख्या किसी भी समय बढ़ाई या घटाई जा सकती है। वर्तमान में यह आवश्यकता बैंक की निम्नलिखित संपत्तियों की सुरक्षा के लिए है:

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक, 7^{वीं} मंजिल, गेरा इम्पीरियम-II, पट्टो प्लाजा, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, पणजी-403001।

ख) आरबीआई अधिकारियों का आवास, सेंट इनेज़, पणजी-403 001

2. **पात्रता मानदंड** : ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी को निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:

- 1) एजेंसी/कंपनी के पास पीएसएआरए 2005 लाइसेंस होना चाहिए जो गोवा राज्य के लिए वैध हो और पणजी में सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो। यह लाइसेंस अनुबंध की अवधि के दौरान वैध रहना चाहिए और समय-समय पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए।
- 2) आरओसी या फर्मों के रजिस्ट्रार से पंजीकरण प्रमाण पत्र या स्वामित्व पत्र होना चाहिए। (दस्तावेज़ी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें)।
- 3) एजेंसी/कंपनी को 31 मार्च 2026 तक कम से कम 5 वर्षों से सुरक्षा व्यवसाय में होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन संलग्न होने चाहिए और कार्य आदेश में गतिविधि के वर्ष और क्षेत्र की पुष्टि होनी चाहिए।

- 4) आवेदक के पास आयकर मंजूरी प्रमाण पत्र (नवीनतम) / आयकर निर्धारण आदेश, बैंक से साख प्रमाण पत्र, पिछले तीन वर्षों के चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित व्यवसाय के नवीनतम अंतिम खातों की प्रति और पैन नंबर होना चाहिए। (दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें)।
- 5) पिछले तीन वर्षों की चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) द्वारा ऑडिट की गई बैलेंस शीट होनी चाहिए। (दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें)।
- 6) पिछले 5 वर्षों से कार्य अनुभव होना चाहिए, जिसमें सरकारी विभागों/कार्यालयों, हवाई अड्डों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, प्रशिक्षण केंद्रों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों आदि में न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, जैसा कि नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार है:
 - i) तीन समान पूर्ण किए गए कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर से कम न हो (लेटर हेड पर कार्य आदेश/प्रमाणपत्र की प्रतियां प्रस्तुत की जा सकती हैं) या
 - ii) दो समान पूर्ण किए गए कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 500 रुपये से कम न हो (लेटर हेड पर कार्य आदेश/प्रमाणपत्र की प्रतियां प्रस्तुत की जा सकती हैं) या
 - iii) एक समान कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम न हो।
- 7) गोवा में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी संगठनों/बड़े कॉर्पोरेट घरानों में कम से कम 30 सुरक्षा गार्ड तैनात होने चाहिए। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)।
- 8) कारोबार - पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम से कम 65 लाख रुपये (65 लाख रुपये) होना चाहिए। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)।
- 9) दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण और ईएसआई निगम से नवीनतम प्रमाण पत्र होना चाहिए। (दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें)।
- 10) ईपीएफ एवं विविध प्रावधान अधिनियम-1952 (नवीनतम) के अंतर्गत ईपीएफ संगठन से प्रमाण पत्र होना चाहिए। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)।
- 11) एजेंसी का कार्यालय गोवा में होना चाहिए। आरबीआई का अधिकारी वित्तीय बोली खोलने से पहले कार्यालय का दौरा करेगा ताकि एजेंसी की बुनियादी ढांचागत स्थिति और बैंक की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पेशेवर दृष्टिकोण का आकलन किया जा सके। (दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें)।
- 12) एजेंसी के पास सुरक्षा गार्डों के प्रशिक्षण के लिए प्रभावी बुनियादी ढांचा होना चाहिए और गोवा के पीएसएआरए नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी प्रशिक्षण संस्थान चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए। बोलीदाता को निजी सुरक्षा एजेंसियों मॉडल विनियमन 2006 के

अनुसार लाइसेंस प्राप्त प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा जारी फॉर्म 6 पर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा या एजेंसी को अधिकृत प्रशिक्षक/प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिकृत होना चाहिए। प्रशिक्षण संस्थान में शारीरिक प्रशिक्षण सहित पूर्ण प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा होना चाहिए। सुरक्षा गार्डों को पीएसएआरए-2005 अधिनियम के अनुसार निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। आवेदन के साथ वैध लाइसेंस प्रस्तुत करना आवश्यक है। (पीएसए को सुरक्षा गार्डों/पर्यवेक्षकों की तैनाती से पहले प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना होगा।)

- 13) ओएसएचडब्ल्यूसी, 2020 के तहत सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- 14) जीएसटी/सेवा कर के लिए उपयुक्त प्राधिकारी के पास पंजीकरण होना चाहिए। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)।
- 15) मालिक/फर्म/साझेदार या कंपनी/फर्म के खिलाफ पुलिस में कोई मामला लंबित नहीं होना चाहिए (निविदाकर्ता के लेटर हेड पर स्व-घोषणा पत्र एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें)।
- 16) बोलीदाता को ओएसएचडब्ल्यूसी, 2020 के तहत संविदा श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)।

3. भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी के क्षेत्रीय निदेशक द्वारा दो-बोली प्रणाली के तहत प्रतिष्ठित कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं, जो निहत्थे सुरक्षा गार्ड (पीएसएआरए अधिनियम, 2005 के तहत प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मी और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्नि सुरक्षा में प्रशिक्षित, अग्निशमन उपकरण संभालने में सक्षम/आग लगने की आपात स्थिति में कार्रवाई करने में सक्षम, जिन्हें इसके बाद सुरक्षा गार्ड भी कहा जाएगा) अनुबंध के आधार पर बैंक के कार्यालय परिसर की सुरक्षा के लिए (अर्थात् व्यक्तियों, सामग्री और वाहनों की आवाजाही की निगरानी, आरबीआई कार्यालय परिसर, अधिकारियों के क्वार्टरों की निगरानी और सामान्य सुरक्षा के अलावा अग्नि जोखिम वाले स्थानों और अग्नि सुरक्षा की जांच में सक्रिय रूप से भाग लेना आदि) अनुबंध के अनुसार बारह महीने की अवधि के लिए तैनात हों। हालांकि, तैनात गार्डों के संतोषजनक प्रदर्शन और संबंधित कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा संविदात्मक दायित्वों के पालन के अधीन, अनुबंध को एक बार में एक वर्ष के लिए दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

4. वर्तमान में 13 सुरक्षा गार्डों की आवश्यकता है (जिनमें 2 अवकाश आरक्षित गार्ड और 1 महिला सुरक्षा गार्ड शामिल हैं, जो केवल कार्यदिवसों में कार्य समय के दौरान आरबीआई कार्यालय में तैनात रहेंगी), जिन्हें निम्नानुसार शिफ्टों में तैनात किया जाएगा:

संपत्ति का नाम	श्रेणी	कुल वर्तमान आवश्यकता	शिफ्टवार संख्या			प्रति शिफ्ट इयूटी	टिप्पणी
			I	II	III		

						घंटे	
भारतीय रिज़र्व बैंक, कार्यालय परिसर, पट्टो, पणजी	सुरक्षा गार्ड	04	1	1	2	8 घंटे	
भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिकारी क्वार्टर (ओक्यू), सेंट इनेज़, पणजी	सुरक्षा गार्ड	06	2	2	2	8 घंटे	
भारतीय रिज़र्व बैंक, कार्यालय परिसर, पट्टो, पणजी	महिला सुरक्षा गार्ड	01	सामान्य शिफ्ट			8 घंटे	सामान्य शिफ्ट 9:30 बजे से 17:30 बजे तक
कुल		11 (प्लस 02 एलआर)					

5. बैंक कार्य आवंटित करने से पहले या अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय तैनात किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है

6. आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक को उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. ₹ 1,28,000 (एक लाख अट्ठाईस हजार रुपये मात्र) की ईएमडी के बिना प्रस्तुत की गई कोई भी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

8. बोलीदाता समझता है कि वह निविदा दस्तावेजों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। बैंक से सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने पर, बोलीदाता बैंक से पत्र प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर और कार्य के अंतिम आवंटन से पहले, उपरोक्त पैराग्राफ में निर्दिष्ट योग्य सुरक्षा गार्डों और पर्यवेक्षकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार उपलब्ध कराए गए कर्मियों को उपरोक्त पैराग्राफ 2 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तैनाती के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो बोलीदाता वैकल्पिक व्यवस्था करेगा और ऐसे व्यक्ति को उसी दिन उपलब्ध कराएगा। बोलीदाता यह स्वीकार करता है कि केवल सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त होने से कार्य का आवंटन सुनिश्चित नहीं होता है; कार्य का अंतिम आवंटन बैंक की इस संतुष्टि के बाद ही होगा कि विक्रेता निविदा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है/होगा।

9. बीमा : सफल बोलीदाता अनुबंध मूल्य के लिए "सभी जोखिम बीमा पॉलिसी" और कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी लेगा। सफल बोलीदाता कार्य निष्पादन के दौरान व्यक्तियों, भवन या किसी तीसरे पक्ष को होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

10. बैंक सबसे कम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी बोली को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक को बिना कोई कारण बताए सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित है ।

11. निविदा से संबंधित किसी भी संदेह/प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए 27 फरवरी, 2026 को सुबह 11:30 बजे आरबीआई पणजी, पणजी में एक पूर्व-बोली बैठक आयोजित की जाएगी (सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा)।

नोट: सभी निविदाकर्ता कृपया ध्यान दें कि निविदा में भविष्य में जारी किए जाने वाले किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र की सूचना बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी की वेबसाइट पर ऊपर दिए गए पते पर दी जाएगी और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम

खंड - III

तकनीकी-वाणिज्यिक और वित्तीय बोलियाँ (केवल ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए)

1. भाग 1: तकनीकी-व्यावसायिक बोली

निविदा के भाग 1 को विधिवत भरकर नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के साथ जमा करें:

1.1 आवेदन पत्र, अनुलग्नक ए से एफ सहित, विधिवत भरा हुआ और उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

क) कंपनी/एजेंसी/फर्म का विवरण (परिशिष्ट - ए)

ख) पूर्व अनुभव का विवरण (परिशिष्ट - ख)

ग) बैंकर/बैंकरों का विवरण (परिशिष्ट - सी)

घ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकर का प्रमाण पत्र (परिशिष्ट - घ)

ई) ग्राहक रिपोर्ट (परिशिष्ट - ई)

च) निविदा में भाग लेने की पात्रता के संबंध में घोषणा

1.2. आवेदन करने के इच्छुक एजेंसियों को **पात्रता मानदंड** (धारा - IV) में उल्लिखित आवश्यक पात्रता के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके बैंक को संतुष्ट करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक को उनकी निविदा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

1.3. इच्छुक निविदाकर्ता को भाग 1 के दस्तावेज जमा करते समय एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी **₹1,28,000/- (एक लाख अट्ठाईस हजार रुपये मात्र)** जमा करना होगा।

1.4. उपरोक्त 1.3 में उल्लिखित ईएमडी के साथ संलग्न न की गई कोई भी निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।

1.5. निविदा वैधता अवधि के दौरान यदि बोलीदाता अपनी बोली वापस ले लेता है या अनुबंध निष्पादित करने या कार्य आवंटित करने में विफल रहता है तो ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

भाग 1 के सभी पृष्ठों, साथ ही इसके अनुलग्नक और संलग्नकों पर निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ आरबीआई, पणजी को हार्ड कॉपी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. भाग 2: वित्तीय बोली

2.1. निविदा के भाग 2 में केवल सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार उद्धृत दरें ही होनी चाहिए।

2.2. वित्तीय बोली में केवल रुपये में अंकों और शब्दों में भरी गई कीमत ही होनी चाहिए और

कोई भी शर्त होने पर इसे अस्वीकार किया जा सकता है ।

- 2.3. लागू होने वाली सभी वैधानिक कटौतियाँ कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्रस्तुत बिलों से की जाएंगी। अतः वित्तीय बोली में सभी शुल्क शामिल होंगे।
- 2.4. वित्तीय बोली सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए और बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद होनी चाहिए।

3. निविदा खोलना

निविदा खोलने के लिए इस दस्तावेज़ के खंड-1 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार।

- 3.1 **निविदा की वैधता:** निविदा और उसमें दी गई कीमतें प्रथम भाग के खुलने की तिथि से प्रारंभ में 3 महीने की अवधि के लिए वैध रहेंगी, जिसे निविदाकर्ता और बैंक के बीच लिखित रूप में आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। निविदाकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकता है और न ही उद्धृत दरों में परिवर्तन कर सकता है।
- 3.2. निविदा प्रपत्र में निर्धारित शर्तों का पालन न करने वाले निविदा दस्तावेजों को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 3.3. सशर्त बोलियां भी तुरंत अस्वीकार कर दी जाएंगी ।
- 3.4. तकनीकी बोली के लिए अर्हता प्राप्त न करने वाले निविदाकर्ताओं को आरबीआई या एमएसटीसी से मेल प्राप्त होगा।
- 3.5. केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं के भाग 2 (वित्तीय बोली) को खोला जाएगा जो तकनीकी-वाणिज्यिक बोली (भाग 1) में अर्हता प्राप्त करते हैं, और यह बोली बाद की तिथि में खोली जाएगी, जिसकी सूचना योग्य निविदाकर्ताओं को दी जाएगी।

4. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार

- 4.1. बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है /
- 4.2. यदि कार्य सौंपे जाने के बाद यह पाया जाता है कि ठेकेदार पिछले 3 वर्षों के दौरान किसी भी सरकारी विभाग/संस्थान/ स्वायत्त निकाय /स्थानीय निकाय/नगरपालिका/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो बैंक अनुबंध समाप्त कर सकता है।
- 4.3. यदि सफल बोलीदाता अनुबंध - एफ के अनुसार राशि के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता है या निर्दिष्ट अवधि के भीतर समझौते पर हस्ताक्षर करने में

विफल रहता है , तो बैंक अनुबंध समाप्त कर सकता है।

- 4.4. कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा अनुबंध-एफ के अनुसार स्वीकृति पत्र के साथ दी जाने वाली प्रदर्शन बैंक गारंटी, कंपनी/ एजेंसी/फर्म के असंतोषजनक प्रदर्शन और/या कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा नियुक्त श्रमिकों की विफलता या लापरवाही के कारण भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी को होने वाली किसी भी हानि/क्षति या कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा समझौते के उल्लंघन की स्थिति में रद्द, जब्त या विनियोजित की जा सकती है। कंपनी/एजेंसी/फर्म को इस प्रकार के विनियोजित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 4.5. प्रदर्शन बैंक गारंटी अनुबंध की समाप्ति तक वैध होनी चाहिए और अनुबंध की समाप्ति और सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने के बाद दो महीने के भीतर इसे वापस कर दिया जाना चाहिए।
- 4.6. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और/या किसी अन्य श्रम कानून के अनुरूप न होने वाली निविदाओं को अमान्य माना जाएगा।
- 4.7. बैंक उन संगठनों से निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट - ई) में ग्राहक रिपोर्ट मंगवाएगा जिनमें ठेकेदार ने समान सेवाएं प्रदान की हैं और यदि कोई भी ग्राहक रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो निविदा को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसका भाग 2 नहीं खोला जाएगा।

5. अनुबंध प्रदान करना

- 5.1. बैंक उस “निविदादाता” को अनुबंध प्रदान करेगा जो निविदा दस्तावेज में शामिल नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंध को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने के लिए ‘पात्र और योग्य’ पाया गया हो।
- 5.2. बैंक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/हाथ से डिलीवरी/ई-मेल के माध्यम से भेजे गए पत्र द्वारा सफल बोलीदाता को सूचित करेगा कि उसकी बोली स्वीकार कर ली गई है (जिसे इसके बाद और अनुबंध की शर्तों में "पुरस्कार पत्र" कहा जाएगा)।
- 5.3. सफल बोलीदाता को अनुबंध पत्र जारी होने की तिथि से 1 सप्ताह के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा । यदि चयनित एजेंसी अनुबंध दिए जाने के 1 सप्ताह के भीतर औपचारिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहती है या नियत तिथि पर कार्य प्रारंभ करने में विफल रहती है, तो कार्य प्रदान करने वाला पत्र रद्द माना जाएगा और उसके द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जाएगी। निविदाकर्ता जोखिम और लागत के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक ऐसे व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने/बैंक में कोई भी कार्य करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, ऐसा करने से पहले, बैंक उस व्यक्ति को सात दिन का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी कर सकता है और प्रतिबंधित करने का अंतिम निर्णय लेने से पहले

एससीएन के जवाब पर विचार कर सकता है। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, पणजी का निर्णय अंतिम होगा ।

5.4. यह अनुबंध अवार्ड लेटर जारी होने की तिथि से पूर्णतः लागू हो जाएगा। अनुबंध समझौते के संबंध में कानून द्वारा लगाए गए स्टॉप शुल्क और इसी प्रकार के अन्य शुल्कों (यदि कोई हो) का वहन ठेकेदार द्वारा किया जाएगा।

5.5. किसी कंपनी/एजेंसी/फर्म की ओर से प्रस्तुत निविदा पर कंपनी/एजेंसी/फर्म के सभी साझेदारों या उनकी ओर से आवश्यक अधिकार रखने वाले साझेदार के हस्ताक्षर होने चाहिए ।

यदि कंपनी/एजेंसी/फर्म प्रस्तावित अनुबंध में प्रवेश करने में विफल रहती है, तो निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।

5.6. निविदा जमा करने से पहले, निविदाकर्ता बैंक द्वारा आवंटित और सफल निविदाकर्ता द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य के दायरे से संबंधित सामान्य नियम और शर्तों को पढ़ सकते हैं। निविदाकर्ता निर्दिष्ट पात्रता और अन्य मानदंडों से संतुष्ट हो सकते हैं। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंक निविदाकर्ता पर ऐसे अतिरिक्त या अन्य नियम और शर्तें लागू कर सकता है या उनसे सहमत होने की अपेक्षा कर सकता है, या उन नियमों और शर्तों को बदल सकता है, संशोधित कर सकता है या हटा सकता है, जिन्हें इस निविदा के तहत आवंटित कार्य के उचित और उपयुक्त निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है।

5.7. सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त खंडों की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में विफलता, पुरस्कार को रद्द करने और प्रस्तुत बैंक गारंटी को निरस्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगी।

5.8 क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदा बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है और उनका निर्णय सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने उपरोक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

खंड - IV

कार्यक्षेत्र

ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी को भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी के कार्यालय परिसर और अधिकारी क्वार्टर (ओक्यू) में चौबीसों घंटे सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करनी होंगी। एजेंसी बैंक के कर्मचारियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, अनाधिकृत प्रवेश को रोकेगी, निगरानी कार्य करेगी जिसमें विभिन्न स्थानों पर रात्रि गश्त और कंपनी के अधिकारियों द्वारा महीने में चार बार (सप्ताह में कम से कम एक बार) अचानक रात्रि निरीक्षण करना शामिल है। साथ ही, यह सुनिश्चित करेगी कि पणजी स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के उक्त परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों और वाहनों का प्रवेश रोका जाए और अग्नि सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए।

I. कार्यालय परिसर/अधिकारियों के आवासों में सुरक्षा गार्डों द्वारा किए जाने वाले कार्य

कार्यालय परिसर/अधिकारियों के आवासों में निजी सुरक्षा गार्डों की मुख्य भूमिकाएँ निम्नलिखित होंगी:

- क) बैंक परिसर में प्रवेश करने वाले आम जनता, संविदा कर्मचारियों, निर्माण श्रमिकों आदि की तलाशी लेना और उनके पहचान पत्रों की जांच करना ताकि परिसर के अंदर/बाहर किसी भी अनधिकृत वस्तु को ले जाने से रोका जा सके।
- ख) बैंक परिसर में किसी भी सुरक्षा खामी का पता लगाने और उसे बैंक के सुरक्षा अधिकारी के ध्यान में लाने के लिए कार्यालय परिसर और अधिकारियों के क्वार्टर (ओक्यू) का नियमित दौरा करना।
- ग) जहां भी लागू हो, हैंडहेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, पेट्रोल टूर गाइड, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर अलार्म सिस्टम, इवैक्यूएशन चेयर आदि जैसे सुरक्षा उपकरणों और अग्निशमन उपकरणों का संचालन करें।
- घ) कार्यालय परिसर और अधिकारियों के क्वार्टरों (ओक्यू) में सुरक्षा से संबंधित रजिस्ट्रों का रखरखाव।
- ई) आग, भूकंप और आतंकी हमले आदि की स्थिति में बैंक के सुरक्षा अधिकारी के निर्देश पर बैंक परिसर से कर्मचारियों को बाहर निकालने में सहायता करना।
- च) बैंक द्वारा जारी अनुमोदित मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार और बैंक के सुरक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों का पालन करना।
- ज) आगंतुकों के नाम, मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, प्रवेश समय, निकास समय और इसी तरह की जानकारी दर्ज करने के लिए आगंतुक रजिस्टर का प्रबंधन।
- झ) उक्त परिसर की अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करें।

II. सुरक्षा गार्डों के कर्तव्य

- 1) तैनात किए गए कर्मचारी विनम्र, लेकिन दृढ़, अनुशासित, शारीरिक रूप से चुस्त, सतर्क और साफ-सुथरी वर्दी में होने चाहिए। सुरक्षा गार्डों को अपनी पहचान के लिए हमेशा अपना नाम प्रदर्शित करना चाहिए।
- 2) महिला कर्मचारियों, आगंतुकों, बुजुर्ग व्यक्तियों आदि के प्रति परिपक्व और उचित व्यवहार प्रदर्शित करें।
- 3) विशिष्ट आगंतुकों, वीआईपी और अधिकारियों के प्रति सम्मान और आदर के साथ उपस्थित होना।
- 4) संगठन/फर्म और अन्य के कर्मचारियों/श्रमिकों/अधिकृत कर्मियों के प्रवेश की जांच, नियंत्रण और प्रतिबंध लगाना, वैध पास के माध्यम से या आवश्यक तलाशी द्वारा, वाहनों की आवाजाही और आने-जाने वाली सामग्रियों (गेट पास, चालान के साथ) की निगरानी करना और समय का पालन करना।
- 5) आगंतुकों की जांच और तलाशी करने के बाद और आगंतुक रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टियां करने के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति देना।
- 6) बैंक की प्रक्रिया के अनुसार आगंतुकों को विनियमित करना और मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) में निर्धारित अनुसार उनका रिकॉर्ड रखना।
- 7) परिसर में व्यक्तियों और सामग्रियों की कड़ी सुरक्षा बनाए रखना।
- 8) बाथरूम फिटिंग, पंखे, एग्जॉस्ट पंखे, टेलीफोन उपकरण, अग्निशामक यंत्र या अग्निशमन प्रणाली आदि जैसी आसानी से स्थानांतरित की जा सकने वाली वस्तुओं की चोरी को रोकने के लिए जिम्मेदार होना।
- 9) घेराव, धरना-प्रदर्शन, हड़ताल आदि जैसी आपात स्थितियों के दौरान प्रबंधन के साथ खड़े रहना और बैंक कर्मचारियों की किसी भी प्रकार के हमले से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- 10) किसी भी परिस्थिति में ड्यूटी स्थल को तब तक न छोड़ें जब तक कि विधिवत रूप से कार्यभार मुक्त न हो जाएं और रजिस्टर सौंपते/लेते समय तदनुसार हस्ताक्षर करें। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड तब तक परिसर नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसका कार्यभार मुक्त करने वाला व्यक्ति ड्यूटी पर न आ जाए।
- 11) यह सुनिश्चित करना कि उचित अनुमति के बिना परिसर/कॉलोनियों से कोई भी वस्तु बाहर न ले जाई जाए।
- 12) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों, बाहरी लोगों आदि द्वारा फूलों के पौधों, पेड़ों और घास के मैदानों को नुकसान न पहुंचे।
- 13) पुरुष सुरक्षा गार्ड आग को शुरुआती चरण में ही बुझाने और दमकल कर्मियों के आने पर उनकी सहायता करने के लिए तैनात किए जाएंगे।

- 14) पुरुष सुरक्षा गार्डों द्वारा कर्मचारियों/निवासियों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नियमित अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे।
- 15) पुरुष सुरक्षा गार्डों द्वारा अग्निशमन प्रणालियों और उपकरणों की नियमित जांच करना और उसका रिकॉर्ड रखना।
- 16) पुरुष सुरक्षा गार्डों को अग्नि सुरक्षा निरीक्षण में सहायता करनी होगी , जब भी यह किया जाए ।
- 17) पुरुष सुरक्षा गार्डों को पास के अग्निशमन विभाग और इसी तरह की एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना होगा।
- 18) यह सुनिश्चित करना कि भवन/परिसर में कोई अज्ञात/लावारिस/संदिग्ध वस्तु/व्यक्ति मौजूद न हो।
- 19) यह सुनिश्चित करना कि वाहन बैंक परिसर के भीतर स्थित पार्किंग स्थलों में ही पार्क किए जाएं।
- 20) बैंक परिसर में आवारा पशुओं के प्रवेश को रोकना।
- 21) यह सुनिश्चित करना कि कार्यालय बंद होने के समय सभी विद्युत उपकरण/ यंत्र/ लाइटें और पंखे बंद कर दिए जाएं।
- 22) आगंतुकों के बैग/ब्रीफकेस की जाँच करना।
- 23) बैंक के निर्देशों, आदेशों और मानक परिचालन प्रक्रियाओं का हर समय पालन करना। इनका पालन न करने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- 24) बैंक द्वारा सौंपे गए कोई अन्य कर्तव्य/जिम्मेदारियां भी इस समझौते में शामिल की जा सकती हैं। वे भी ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगी।

III. कंपनी/एजेंसी/फर्म की जिम्मेदारियां

- i) एजेंसी/कंपनी/फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि पुरुष सुरक्षा गार्डों ने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्निशमन का बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया हो। एजेंसी/कंपनी/फर्म को अनुबंध अवधि की शुरुआत से 30 दिनों के भीतर ऐसे प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।
- ii) एजेंसी/कंपनी/फर्म सुरक्षा गार्डों को वर्दी, जूते, टोपी, सर्दियों के लिए जर्सी, बेल्ट, बैज, टॉर्च, लाठी, छाता/रेनकोट आदि के सेट उपलब्ध कराएगी।
- iii) एजेंसी/कंपनी/फर्म तीनों उल्लिखित स्थानों पर प्रत्येक स्थान पर एक बेसिक मोबाइल फोन उपलब्ध कराएगी ताकि सभी शिफ्टों के सुरक्षा गार्डों के साथ संचार बनाए रखा जा सके।
- iv) बैंक परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों को सुरक्षा अधिकारी से परामर्श करने के बाद उनकी तैनाती से स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

- v) यदि यह पाया जाता है कि सुरक्षा गार्डों की लापरवाही या मिलीभगत के कारण बैंक की कोई संपत्ति खो गई है/क्षतिग्रस्त हो गई है, तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिलों से क्षतिग्रस्त/खोई हुई संपत्ति के मूल्यहास मूल्य पर उसकी भरपाई की जाएगी।
- vi) एजेंसी/कंपनी/फर्म बैंक परिसर में तैनात सुरक्षा गार्डों के नाम और पते (पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सहित) प्रस्तुत करेगी और साथ ही सुरक्षा गार्डों में परिवर्तन/प्रतिस्थापन होने पर भी इसकी जानकारी देगी।
- vii) तैनात किए गए सुरक्षा गार्ड सभी उद्देश्यों के लिए ठेकेदार के प्रत्यक्ष कर्मचारी होंगे और एजेंसियां वेतन और अन्य देय राशियों के भुगतान और उन पर लागू सभी श्रम कानूनों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगी।
- viii) एजेंसी द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाने वाले सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक को जारी किया गया फोटो पहचान पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य है। प्रत्येक सुरक्षा गार्ड को यह पहचान पत्र अपनी वर्दी के हिस्से के रूप में पहनना होगा, जिसमें उनका पूरा नाम, आयु, पहचान चिह्न, हस्ताक्षर, जारीकर्ता का नाम और मुहर, साथ ही निकटतम संबंधी (NOK) का संपर्क नंबर भी अंकित होगा।
- ix) एजेंसी/कंपनी/फर्म सुरक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति से बैंक द्वारा किसी भी समय ऐसा चाहने पर व्यक्ति/व्यक्तियों की तैनाती नहीं करेगी या तैनाती बंद कर देगी।
- x) एजेंसी का एक स्थानीय प्रतिनिधि सुरक्षा गार्डों का प्रभारी होगा और अनुबंध के तहत सेवाओं के कुशल निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा। यद्यपि वे बैंक परिसर में कार्यरत होंगे, वे बैंक के सुरक्षा अधिकारियों के निर्देशों और मार्गदर्शन के अधीन कार्य करेंगे और बैंक के प्रति जवाबदेह होंगे। हालांकि, इससे अनुबंध के तहत बैंक के प्रति एजेंसी की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी।
- xi) एजेंसी/कंपनी/फर्म को सुरक्षा कार्य के सभी पहलुओं, जिनमें अग्निशमन भी शामिल है, में प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड तैनात करने होंगे। सभी सुरक्षा गार्डों (महिला सुरक्षा गार्डों सहित) को तैनाती से पहले कम से कम 3 महीने की सुरक्षा संबंधी ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, पुरुष सुरक्षा गार्डों को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अग्नि सुरक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए और एजेंसी द्वारा तैनाती के 30 दिनों के भीतर इस संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने चाहिए। सुरक्षा गार्डों को प्रत्येक वर्ष के अंत में कम से कम 1 महीने का रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेना आवश्यक है। एजेंसी इस संबंध में आवश्यक वचन और दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करेगी।
- xii) आगंतुकों को बैंक की निर्धारित प्रक्रिया और अभिलेखों के अनुसार विनियमित किया जाएगा। साथ ही, आगंतुकों के साथ उचित शिष्टाचारपूर्वक व्यवहार किया जाएगा।
- xiii) एजेंसी का एक प्रतिनिधि सप्ताह में कम से कम एक बार बैंक परिसर का दौरा करेगा और अपने कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करेगा। साप्ताहिक दौरे के दौरान, एजेंसी का प्रतिनिधि सेवा अनुबंध से संबंधित बैंक के अधिकारियों से भी मुलाकात करेगा

ताकि कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के संबंध में आपसी प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके और उनके कार्य में पाई गई किसी भी कमी को दूर किया जा सके। एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा माह में चार बार 0001 बजे से 0400 बजे के बीच अचानक निरीक्षण भी किया जाना आवश्यक है और इसकी रिपोर्ट अगले 24 घंटों के भीतर आरबीआई को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

- xiv) एजेंसी/कंपनी/फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक द्वारा निर्दिष्ट या अन्य किसी भी कारण से आवश्यक होने पर उसके कर्मचारियों का कोई भी प्रतिस्थापन बैंक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के शीघ्रता से किया जाए। यदि एजेंसी किसी कर्मचारी को बदलना चाहती है, तो यह बैंक के सुरक्षा अधिकारी की पूर्व सहमति से और एजेंसी के स्वयं के खर्च पर किया जाएगा।
- xv) एजेंसी/कंपनी/फर्म बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों को नाम बैज सहित अच्छी गुणवत्ता की वर्दी अपने खर्च पर उपलब्ध कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि तैनात कर्मचारी उसका उपयोग करें और वह वर्दी अच्छी स्थिति में बनी रहे। बेल्ट, जूते, मोजे, टोपी, बंदूक, गोलियां आदि जैसी अन्य आवश्यक वस्तुएं एजेंसी द्वारा वहन/उपलब्ध कराई जाएंगी।
- xvi) ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि तैनात कर्मी अनुशासित हों और बैंक/भारत सरकार/किसी राज्य/या किसी केंद्र शासित प्रदेश के हित के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में भाग न लें।
- xvii) एजेंसी द्वारा तैनात सुरक्षाकर्मी कम से कम 10^{वीं} उत्तीर्ण होने चाहिए और उन्हें अंग्रेजी और हिंदी में स्पष्ट रूप से पढ़ने और लिखने का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए ताकि वे आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा डेस्क/बूथ में रखे रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ कर सकें और उपस्थिति रजिस्टर में अपना नाम लिख सकें तथा रजिस्टर में हस्ताक्षर करके अपने आगमन और प्रस्थान को दर्ज कर सकें।
- xviii) ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी इस अनुबंध या इसके किसी भी भाग को किसी अन्य को हस्तांतरित या सौंप नहीं सकती। इन शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, बैंक सफल निविदाकर्ता को लिखित नोटिस जारी कर अनुबंध रद्द कर सकता है, जिसके बाद सुरक्षा जमा राशि बैंक द्वारा जब्त कर ली जाएगी, हालांकि सफल निविदाकर्ता के विरुद्ध बैंक के अन्य कानूनी अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
- xix) चोरी, लूटपाट, हानि या अन्य अपराधों की स्थिति में, एजेंसी जांच करेगी और बैंक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तथा पुलिस से संपर्क बनाए रखेगी। आवश्यकता पड़ने पर बैंक द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर, दोनों पक्षों की संयुक्त जांच की जाएगी और जिम्मेदारी तय की जाएगी।
- xx) यदि कोई सुरक्षाकर्मी अवकाश पर हो या अनुपस्थित हो, तो एजेंसी उसकी अनुपस्थिति की भरपाई के लिए उपयुक्त वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। ऐसी स्थिति से

निपटने के लिए, एजेंसी अवकाश आरक्षित रखेगी। सुरक्षा एजेंसी उपरोक्त विवरण के अनुसार चौबीसों घंटे आवश्यक मानव-घंटे उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और अवकाश लेता है या अनुपस्थित रहता है, तो उसके स्थान पर तुरंत किसी अन्य व्यक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि किसी भी समय अतिरिक्त मानव-घंटे की आवश्यकता होती है, तो सुरक्षा एजेंसी द्वारा वह उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका भुगतान आनुपातिक आधार पर किया जाएगा।

- xxi) जब भी बैंक को अस्थायी या आपातकालीन स्थिति में अतिरिक्त सुरक्षा बल की आवश्यकता होगी, एजेंसी समान नियमों और शर्तों के तहत ऐसे सुरक्षा कर्मियों को तैनात करेगी। इसके लिए बैंक द्वारा दो दिन का नोटिस दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि एजेंसी द्वारा रातैनात सुरक्षा कर्मी किसी भी समय ड्यूटी से अनुपस्थित पाए जाते हैं, सोते हुए पाए जाते हैं या अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, तो बैंक अनुबंध की शर्तों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाने के अलावा, एजेंसी के बिल से आनुपातिक आधार पर आवश्यक राशि काटेगा।
- xxii) एजेंसी/कंपनी/फर्म न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य संबंधित वैधानिक अधिनियमों के प्रावधानों के तहत प्राप्त होने वाले वेतन और अन्य सभी देय राशियों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी।
- xxiii) एजेंसी/कंपनी/फर्म अनुबंध की अवधि के दौरान लागू सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, जिनमें शामिल हैं: (i) वेतन संहिता, 2019 (ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (iv) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियाँ संहिता, 2020 (OSHC संहिता, 2020) (v) नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938 (vi) बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 और (vi) और/या कोई अन्य कानून और नियम जो समय-समय पर संविदा श्रमिकों पर लागू हों। एजेंसी/ कंपनी/फर्म रजिस्टर और अभिलेख प्रस्तुत करेगी और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा जारी अन्य निर्देशों का पालन करेगी।
- xxiv) एजेंसी /कंपनी/फर्म इस अनुबंध के संबंध में भारत के कर कानूनों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करेगी और इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। एजेंसी प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने के प्रमाण के रूप में पावती की प्रतियां प्रस्तुत करेगी और इस संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी भी कर, ब्याज, जुर्माना आदि की देनदारी के लिए बैंक को पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।
- a. क्षतिपूर्ति खंड: सफल बोलीदाता आरबीआई और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों को सभी दावों (तीसरे पक्ष के दावों सहित), कार्रवाइयों, हानियों, क्षतियों, लागतों, व्ययों, शुल्कों, जिनमें कानूनी व्यय भी शामिल हैं, से क्षतिपूर्ति करने और उन्हें क्षतिपूर्ति से मुक्त रखने के लिए सहमत है, जो आरबीआई को बोलीदाता

की ओर से निम्नलिखित कारणों से होने वाली चूक के कारण हो सकते हैं:

- b. अनुबंध अवधि के दौरान सरकार या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए लागू कानूनों, विनियमों, दिशा-निर्देशों का उल्लंघन; या
 - c. अनुबंध की शर्तों और नियमों का उल्लंघन या उनका पालन न करना; या
 - d. बोलीदाता द्वारा किए गए अभ्यावेदनों और वारंटियों का उल्लंघन; या
 - e. (एवी) बोलीदाता द्वारा लापरवाही या कपटपूर्ण कार्य या चूक; या बोलीदाता के कारण किसी तीसरे पक्ष द्वारा।
 - f. सफल बोलीदाता अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा और सफल बोलीदाता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि बैंक के विरुद्ध उनका कोई दावा नहीं होगा और वे अपनी सेवा शर्तों या किसी अन्य मामले में बैंक के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई औद्योगिक विवाद नहीं उठाएंगे।
 - g. (एवीआई) इसके अतिरिक्त, सफल बोलीदाता सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत या इस समझौते के प्रयोजन के लिए उसके रोजगार में किसी व्यक्ति को हुई किसी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप देय किसी भी कानून या क्षतिपूर्ति नियमों के तहत किए जा सकने वाले सभी दावों के विरुद्ध बैंक को हर समय क्षतिपूर्ति करेगा। बोलीदाता अपने कर्मचारियों के पारिश्रमिक और अन्य देय राशियों के साथ-साथ उनके द्वारा की गई चूक/गलतियों के लिए भी पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- xxv) **यौन उत्पीड़न** : एजेंसी/कंपनी/फर्म कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आरबीआई परिसर के भीतर अपने कर्मचारियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की स्थिति में, शिकायत एजेंसी/कंपनी/फर्म द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त अधिनियम के तहत शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।
- xxvi) एजेंसी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा आरबीआई के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत आरबीआई की क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी। एजेंसी अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- xxvii) यदि घटना में एजेंसी के कर्मचारी शामिल हैं, तो एजेंसी/कंपनी/फर्म किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगी, उदाहरण के लिए, यदि एजेंसी के कर्मचारी द्वारा यौन दुर्व्यवहार साबित हो जाता है, तो आरबीआई कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत दी जाएगी।

- xxviii) एजेंसी/कंपनी/फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि उसका कोई भी कर्मचारी आरबीआई के परिसर में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय तक प्रवेश न करे या न रहे, जब तक कि एजेंसी के दायित्वों को पूरा करने के लिए यह बिल्कुल आवश्यक न हो और आरबीआई के कार्यवाहक/सुरक्षा अधिकारियों की अनुमति न हो।
- xxix) अप्रत्याशित घटना:
- xxx) इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष (या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति) की किसी भी दायित्व (भुगतान दायित्व के अलावा) को पूरा करने में विफलता के लिए कोई दायित्व या जिम्मेदारी नहीं होगी, जब तक और जिस हद तक ऐसे दायित्व की पूर्ति अप्रत्याशित घटना की परिस्थितियों के परिणामस्वरूप रोकी, बाधित, अवरुद्ध या विलंबित होती है
- xxxi) **गोपनीयता खंड** : एजेंसी/कंपनी/फर्म आरबीआई के साथ किए जाने वाले अनुबंध के तहत दायित्वों के निर्वहन के दौरान आरबीआई के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित कोई भी जानकारी, सामग्री और विवरण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेगी और इसे हर समय अत्यंत गोपनीय रखेगी। एजेंसी अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगी, सिवाय इसके कि अनुबंध के तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक हो। एजेंसी आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापारिक या तकनीकी पत्रिका या अन्य किसी भी स्थान पर कार्यों का कोई भी विवरण प्रकाशित नहीं करेगी, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देगी और न ही प्रकट करेगी। गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप आरबीआई को होने वाली किसी भी हानि के लिए एजेंसी आरबीआई को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी। उपरोक्त का पालन न करना एजेंसी द्वारा अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा और आरबीआई क्षतिपूर्ति का दावा करने और इसके लिए कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। एजेंसी अपने कर्मचारियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगी कि इस खंड के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-खुलासे संबंधी दायित्वों का पूर्णतः पालन हो। गैर-खुलासे और गोपनीयता के संबंध में एजेंसी के दायित्व, आरबीआई के साथ किसी भी कारण से होने वाले इस समझौते की समाप्ति या निरस्तीकरण के बाद भी लागू रहेंगे।
- xxxii) **अनुबंध समाप्ति की सूचना**: बैंक के साथ किए जाने वाले अनुबंध को दोनों पक्षों में से कोई भी एक महीने की सूचना देकर समाप्त कर सकता है। अनुबंध की समाप्ति या अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर सेवा प्रदाता/एजेंसी द्वारा नियुक्त सभी कुशल सुरक्षा गार्डों को आरबीआई, पणजी के परिसर से हटा दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति आरबीआई, पणजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की बाधा/अड़चन/समस्या उत्पन्न न करे।
- xxxiii) बैंक मासिक बिल प्रस्तुत करने पर निर्धारित राशि का भुगतान करेगा। किसी भी प्रकार का कोई अन्य शुल्क देय नहीं होगा। सुरक्षा एजेंसी द्वारा जारी किए गए बिलों का

भुगतान सभी संबंधित दस्तावेजों सहित बैंक के मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, पणजी में जमा करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर एजेंसी को किया जाएगा। सुरक्षा एजेंसी प्रत्येक ड्यूटी शिफ्ट के लिए सुरक्षा गार्डों और सुरक्षा पर्यवेक्षक की उपस्थिति दर्ज करने हेतु एक हाजिरी पुस्तिका रखेगी।

- xxxiv) अनुबंध अवधि के दौरान एजेंसी को देय दर में कोई वृद्धि नहीं होगी, सिवाय भारत सरकार द्वारा संशोधित न्यूनतम और वैधानिक मजदूरी में वृद्धि के।
- xxxv) लागू आयकर बिल से काटा जाएगा।
- xxxvi) नियमों और शर्तों तथा समझौते की व्याख्या के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।
- xxxvii) एजेंसी और बैंक के बीच विवाद की स्थिति में, बैंक को निर्णय लेने का अधिकार होगा, हालांकि, सभी क्षेत्राधिकार संबंधी मामले पणजी स्थित स्थानीय न्यायालयों के अधीन होंगे।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

प्रारूप: वचनबद्धता

(समझौते पर हस्ताक्षर करते समय निविदाकर्ता के लेटर हेड पर दिया जाना है)

क्षेत्रीय निदेशक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
संपदा, पणजी

महोदय/महोदया,

- (1) मैं/हम एतद्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत/होते हैं
- (2) यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियम, शर्तें और निर्देश पढ़ लिए हैं और पूरी तरह समझ लिए हैं और मैं/हम उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन देते हैं।
- (3) मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, पीएसएआरए अधिनियम 2005, संविदा श्रम अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई अधिनियम, बोनस, राहत शुल्क, वर्दी और उससे संबंधित भत्ते तथा समय-समय पर लागू होने वाले अन्य सभी वैधानिक प्रावधानों का पालन करते/करते हैं। मैं/हम तैनात कर्मियों को सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार वेतन का भुगतान करेंगे/करेंगे तथा किसी भी उल्लंघन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
- (4) मैं/हम बैंक द्वारा आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की आवश्यक संख्या तैनात करके सुरक्षा सेवाएं प्रदान करेंगे।
- (5) मैं/हम एतद्वारा यह वचन देते हैं कि बैंक के कार्यालय परिसर की सुरक्षा हमारी सुरक्षा एजेंसी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही बैंक द्वारा विचार किए गए किसी अन्य कार्य द्वारा भी।
- (6) बयाना जमा (ईएमडी) ₹ _____/- (रुपये _____ मात्र) की राशि भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी में जमा की जाएगी।
- (7) यदि मुझे/हमें अनुबंध दिया जाता है, तो मैं/हम प्रदर्शन बैंक प्रस्तुत करने के लिए सहमत/हैं।
- (8) बैंक को अनुबंध के मूल्य का 5% गारंटी के रूप में दिया जाएगा। यदि हम अनुबंध को निष्पादित करने में असमर्थ होते हैं, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी को जब्त कर ली जाएगी।
- (9) मैं/हम यह भी समझते हैं कि क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, पणजी को बिना कोई कारण बताए मेरी/हमारी निविदा बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है और

उनका निर्णय मुझ पर/ हम पर बाध्यकारी होगा।

- (10) मैं/हम कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे/करेंगे।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और मुहर सहित)

परिशिष्ट - ए

कंपनी/एजेंसी/फर्म का विवरण

घोषणा

- (1) उपरोक्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है, तो मुझे निविदा प्रक्रिया/ अनुबंध दिए जाने से वंचित किया जा सकता है
- (2) मैं/हम बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।
- (3) मैं/हम समझते हैं कि बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक - ख

पूर्व अनुभव का विवरण

पिछले 5 वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, हवाई अड्डे या सरकारी संगठन में इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव होना चाहिए और एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना चाहिए।

(कृपया इन सभी कार्यों के सहायक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां पीडीएफ फॉर्मेट में संलग्न करें। कृपया अनुलग्नक ई के अनुसार योग्य कार्यों की कम से कम दो ग्राहक रिपोर्ट संलग्न करें।)

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक - सी

बैंकर/बैंकरों का विवरण

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(नाम और मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

अनुलग्नक - डी

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकर प्रमाणपत्र का प्रारूप
(निविदाकर्ता द्वारा निविदा के साथ अपलोड किया जाना है)

1	कंपनी/एजेंसी/फर्म का नाम:
2	कंपनी/एजेंसी/फर्म की संरचना (चाहे साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड/ स्वामित्व/पब्लिक लिमिटेड हो):
3	कंपनी/एजेंसी/फर्म के मालिक/साझेदार/निदेशक का नाम:
4	बैंकर का नाम:
5	शाखा का नाम और पूरा डाक पता:
6	संपर्क व्यक्ति का नाम और पदनाम, साथ ही उनका टेलीफोन नंबर और ईमेल आदि:
7	खाते का प्रकार:
8	खाता संख्या:
9	IFSC:
10	पिछले 3 वर्षों के लिए कंपनी/एजेंसी/फर्म का टर्नओवर (वर्षवार) (2025-26 के लिए अनुमानित):
	2025-26
	2024-25
	2023-24
	2022-23
11	कंपनी/एजेंसी/फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा:
12	लेन-देन:
13	वह अवधि जिससे कंपनी/एजेंसी/फर्म बैंक के साथ बैंकिंग कर रही है:
14	कोई अन्य टिप्पणी:
15	कृपया यह भी बताएं कि क्या उपर्युक्त कंपनी/एजेंसी/फर्म आर्थिक रूप से इतनी सक्षम है कि उसे अनुमानित लागत वाले कार्यों का ठेका सौंपा जा सके। ₹ _____ लाख प्रति वर्ष।

(हस्ताक्षर)

बैंक के लिए

स्थान:

दिनांक:

नोट:

- i. बैंकर्स प्रमाणपत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए।
- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के पास दर्ज सभी साझेदारों के नाम शामिल होने चाहिए ।
- iii. mstcecommerce पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय मूल दस्तावेज़ की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड करना अनिवार्य है ।

अनुलग्नक - ई (गोपनीय)

सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने वाली कंपनी/फर्म/एजेंसी के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र
(निविदाकर्ता द्वारा अन्य दस्तावेजों के साथ एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)

ग्राहक का नाम और

पता : _____

मेसर्स से प्राप्त सुरक्षा सेवा का

विवरण _____

क्रमांक	विवरण	टिप्पणियाँ
1	प्राप्त सुरक्षा सेवा का प्रकार	
2	अनुबंध संख्या और तिथि	
3	अनुबंध राशि	
4	फर्म/कंपनी/एजेंसी के साथ कब से काम कर रहे हैं	
5	प्रदान किए गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या (कुल)	
	ए) पुरुष सुरक्षा गार्ड	
	ख) महिला सुरक्षा गार्ड	
6	अनुबंध की शर्तों और नियमों के पालन के संबंध में टिप्पणियाँ	
7	अनुबंध की शर्तों और नियमों का पालन न करने पर लगाया गया कोई भी दंड।	
8	कोई अन्य जानकारी	

स्थान:

दिनांक:

अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुहर सहित)

अनुलग्नक - एफ

प्रदर्शन सुरक्षा जमा के लिए बैंक गारंटी का प्रपत्र
(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदे गए उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान: _____

दिनांक: _____

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
पणजी

प्रिय महोदय/महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक, पणजी के कार्यालय परिसर और अधिकारियों के क्वार्टर में निहत्थे सुरक्षा गार्ड (पुरुष और महिला) उपलब्ध कराने का अनुबंध

जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है (जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा), ने उक्त परियोजना का अनुबंध (जिसे आगे "अनुबंध" कहा जाएगा) मेसर्स (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनमेंट भी शामिल होंगे) को प्रदान किया है।

और चूंकि ठेकेदार उक्त अनुबंध के तहत आरबीआई को अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों के विधिवत पालन के लिए कुल ₹ _____/- (केवल _____ रुपये) की प्रदर्शन सुरक्षा जमा करने के लिए बाध्य है, इसलिए हम, (बैंक का नाम), (जिसे इसके बाद " बैंक" कहा जाएगा),

ठेकेदार मेसर्स _____ के अनुरोध पर , मैं एतद्वारा आरबीआई को अनुबंध की शर्तों और नियमों के विधिवत पालन के लिए प्रदर्शन गारंटी के रूप में ₹ _____ से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देता/देती हूँ ।

अब यह गारंटी गवाह है

1. हम _____ (बैंक का नाम) एतद्वारा आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों और असाइनियों के साथ सहमत होते हैं और उन्हें वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त

शर्तों के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, जो निष्कर्ष हम पर और उक्त ठेकेदार पर भी बाध्यकारी होगा; तो हम आरबीआई की मांग पर, बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ _____ की राशि का भुगतान करेंगे।

(केवल _____ रुपये _____) या आरबीआई

द्वारा मांगी गई कोई भी कम राशि। हमारी गारंटी उक्त अनुबंध के तहत ठेकेदार के दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए प्रदर्शन गारंटी राशि के समतुल्य मानी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी राशि के लिए हमारी देयता

₹ _____

(केवल _____ रुपये) से अधिक नहीं होगी।

2. हम यह वचन देने और पुष्टि करने के लिए भी सहमत हैं कि राशि ₹ (रुपये) से अधिक नहीं होगी। _____

_____ उपर्युक्त राशि का भुगतान हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, आरबीआई द्वारा लिखित नोटिस प्राप्त होने पर, जिसमें राशि देय होने की बात कही गई हो, मात्र मांग पर करेंगे। हम किसी भी प्रकार का कोई और प्रमाण या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा तथा किसी भी प्रकार से इस पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे। ठेकेदार द्वारा किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ के समक्ष लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद के बावजूद, बैंक आरबीआई को मांगी गई कोई भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के तहत हमारी देयता पूर्ण और स्पष्ट होगी। हम उपर्युक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

4. आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हम इस गारंटी को रद्द नहीं करेंगे।

हम इसके द्वारा आगे इस बात से भी सहमत हैं कि -

- i. उक्त अनुबंध की शर्तों को लागू करने में या उक्त अनुबंध और/या इसके अंतर्गत निर्धारित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में आरबीआई द्वारा किसी भी प्रकार की ढिलाई या चूक, या आरबीआई द्वारा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का समय देना या रियायत दिखाना, या इससे संबंधित कोई अन्य मामला हमें किसी भी तरह से इस गारंटी के तहत हमारे दायित्व से मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के पालन से ही पूर्ण होगी, और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो हमारे द्वारा ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से अधिक की राशि का भुगतान करने पर ही पूर्ण होगी।

2. इन दस्तावेजों के तहत हमारी देनदारी ₹ _____ (केवल _____ रुपये) से अधिक नहीं होगी ।
- इस समझौते के तहत हमारी देयता हमारे उक्त घटकों/ग्राहकों की ओर से किसी भी दुर्बलता या अनियमितता या उनके दायित्वों या हमारे उक्त घटकों के विघटन या संरचना में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगी।
 - यह गारंटी दोष दायित्व अवधि के बाद 60 दिनों तक लागू रहेगी, बशर्ते कि यदि आरबीआई चाहे तो इस गारंटी को उसी शर्तों और नियमों के अनुसार आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है ।
3. इन शर्तों के तहत हमारी देयता तब तक समाप्त हो जाएगी जब तक कि इन शर्तों का नवीनीकरण उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार उस दिन या उस दिन नहीं हो जाता जब हमारे उक्त घटक अपने दायित्वों का अनुपालन करते हैं, जिसके लिए आरबीआई द्वारा जारी लिखित प्रमाण पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा, जो भी तिथि बाद में हो। जब तक कि हमारे विरुद्ध कोई दावा, मुकदमा या कार्रवाई इस अवधि के भीतर या किसी विस्तारित अवधि में दायर नहीं की जाती, इस गारंटी के तहत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और हम इस अनुबंध के तहत अपने सभी दायित्वों और देनदारियों से मुक्त हो जाएंगे।

इसके प्रमाण स्वरूप, मैं /हम बैंक की ओर से (महीना) (वर्ष) को इस गारंटी पर विधिवत अधिकृत होकर हस्ताक्षर और मुहर लगा चुका / सकती हूँ । _____

(बैंक का नाम) की ओर से और उसके लिए _____

अधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर नाम:

पदनाम:

बैंक की मुहर/सील

बैंक की ओर से और उसके लिए उपरोक्त नाम वाले व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरबंद और वितरित किया गया:

गवाह 1

हस्ताक्षर

नाम

पता

(नोट: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टॉप शुल्क लगेगा, जहां इसे निष्पादित किया गया है, और इस पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसके हस्ताक्षर और अधिकार का सत्यापन किया जाएगा)।



भारतीय रिजर्व बैंक
मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, पणजी

भाग 2: वित्तीय बोली

फर्म/एजेंसी का विवरण

एजेंसी का नाम : _____

पता: _____

लैंडलाइन और मोबाइल: _____

जमा करने की अंतिम तिथि: _____, 2026 को _____ बजे

भाग 2: वित्तीय बोली शुल्क

बोलीदाता/ फर्म/ एजेंसी का नाम: (बोलीदाता/फर्म/एजेंसी के लेटरहेड पर) _____

ए. श्रम शुल्क (राशि ₹ में)

क्रम संख्या	विवरण	एक निहत्था सुरक्षा गार्ड (पुरुष)	एक निहत्था सुरक्षा गार्ड (महिला)
ए	26 दिनों के लिए मूल वेतन (न्यूनतम) ["X"]		
ख	वीडीए		
ग	कुल दैनिक न्यूनतम मजदूरी (मूल वेतन + वीडिए)		
डी	26 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी (मूल वेतन + वीडिए) ["X"]		
ई	कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) "X" का 13%		
f	वर्दी और मौसमी वस्त्र 2%		
जी	कुल		
ह	राहत शुल्क @ 4 दिन उप-योग का 1/6		लागू नहीं
i	कुल राशि के 2.5% से कम सेवा शुल्क नहीं		
j	कुल प्रति माह (g+h+i)		
के	प्रति गार्ड 1 वर्ष के लिए कुल (jx 12)		
।	वार्षिक अनुमान		
मी	जीएसटी		
एन	उप-योग		
ओ	पूर्णांकित		

बी. कुल शुल्कों का सारांश

वित्तीय बोली में ऊपर उद्धृत मूल्य में विक्रेता द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सभी वैधानिक दायित्व शामिल होने चाहिए, जैसे कि संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केंद्र सरकार द्वारा घोषित वर्तमान और लागू न्यूनतम मजदूरी में से जो भी अधिक हो, जैसे कि सुरक्षा और पहरेदारी (हथियारों सहित) के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय महंगाई भत्ता सहित); कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936; श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (विविध

प्रावधान) 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; कर्मचारी देयता अधिनियम 1938 और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य नियम/विनियम और/या कानून। इसके अलावा, उपर्युक्त सभी घटक सुरक्षा गार्ड और महिला सुरक्षा गार्ड की दरों में सख्ती से शामिल होने चाहिए।

नोट: ऊपर उल्लिखित सभी दस्तावेज संबंधित अधिकारियों/गार्डों को सौंप दिए जाने हैं। वैधानिक देय राशियों और गार्डों को किए गए भुगतानों के प्रमाण की प्रति अगले महीने के बिल के साथ जमा करनी होगी।